STATUS OF POLICING IN INDIA REPORT

2020–2021

Volume II

Policing in the Covid-19 Pandemic

COMMON CAUSE
A ROMANCE WITH PUBLIC CAUSES SINCE 1980

CSDS
Centre for the study of developing societies

लोकनीति
Programme for Comparative Democracy

TATA TRUSTS

LAL FAMILY FOUNDATION

स्टेट्स ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट, (SPIR) 2020-21

खंड II: कोविड-19 महामारी में पुलिस व्यवस्था

कार्यकारी सारांश

स्टेट्स ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट, (SPIR) 2020-21, खंड II: कोविड -19 महामारी में पुलिस व्यवस्था नामक यह रिपोर्ट, लॉकडाउन के दौरान नागरिक-पुलिस के बीच संपर्क, कोरोना वायरस संकट से निपटने और कानून व्यवस्थातंत्र में नई चुनौतियों के उभरने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को कवर करती है. इससे पहले, अप्रैल 2021 में जारी SPIR 2020-21 खंड-I में हिंसाग्रस्त, अतिवाद या विद्रोह से प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था का अध्ययन किया गया है. SPIR के यह दोनों खंड असामान्य और असाधारण परिस्थितियों के दौरान पुलिस व्यवस्था का अध्ययन करते हैं.

SPIR 2020-21 का यह भाग 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के टियर 1 और टियर II/III शहरों के आम लोगों और पुलिस कर्मियों के सर्वेक्षण के आंकड़ों का विश्लेषण करता है. रिपोर्ट राष्ट्रीय लॉकडाउन के शुरुआती चरणों के दौरान पुलिस व्यवस्था के स्वरूप पर हुई मीडिया कवरेज का भी अध्ययन करती है. इस रिपोर्ट में दिल्ली-NCR, राजस्थान और गुजरात के प्रवासी श्रमिकों और राहतकर्मियों के साथ एक अलग सर्वेक्षण के कुछ प्रमुख निष्कर्ष भी प्रस्तुत किए गए हैं.

यह गौरतलब है कि रिपोर्ट के सभी निष्कर्ष 2020 में भारत में कोविड -19 संकट की पहली लहर से संबंधित हैं, क्योंकि डेटा संग्रह अक्टूबर और नवंबर 2020 के महीनों में किया गया था.

नीचे रिपोर्ट के कुछ प्रमुख अंश दिए गए हैं:

पुलिस द्वारा कानून के शासन का पालन

लोकतंत्र की केंद्रीय विशेषताओं में से एक कानून के शासन का पालन है. हालाँकि, यह कागज पर एक शासकीय सिद्धांत के रूप में मौजूद हो सकता है, लेकिन जमीन पर वास्तविकता पूरी तरह से अलग हो सकती है. महामारी की पहली लहर के दौरान पुलिस के कामकाज में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली, जैसा कि इस रिपोर्ट के निष्कर्ष से स्पष्ट है.

- तीन पुलिस कर्मियों में से केवल एक ने लॉकडाउन के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की जांच करते हुए कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन करने में सक्षम होने की सूचना दी.

- एक चौथाई से अधिक (27%) पुलिस कर्मियों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती लोगों को संभालना था. आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के पुलिस कर्मियों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान गरीब और प्रवासी श्रमिकों को संभालना उनके लिए दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी.

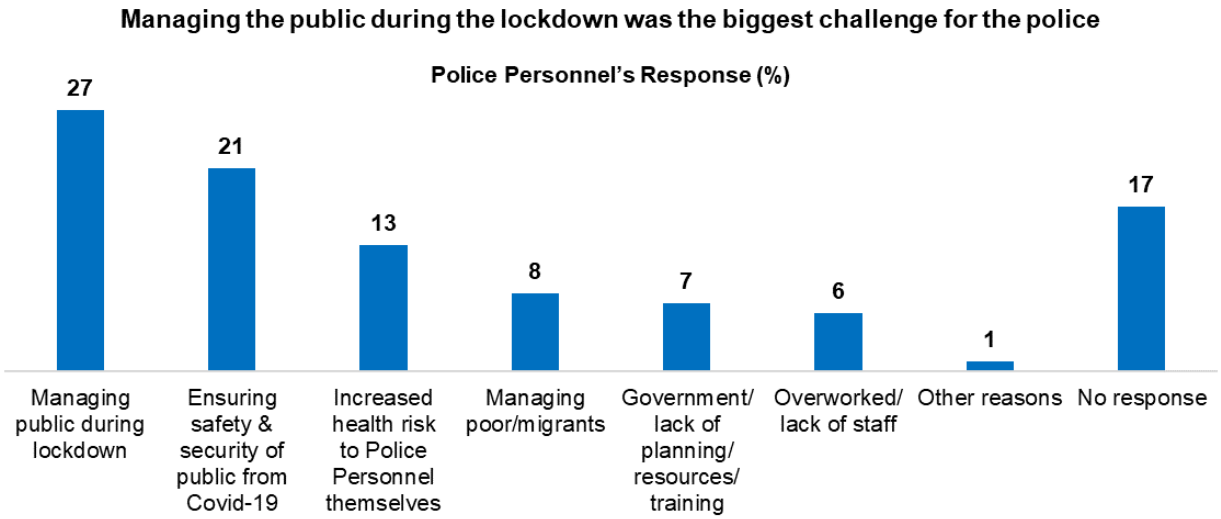

नोट: सभी आंकड़े पूर्णांकित (rounded off) हैं. यह पुलिस कर्मियों की राय है.

प्रश्न: आपके अनुसार, लॉकडाउन के दौरान कोरोनावायरस महामारी से निपटने में पुलिस के लिए सबसे बड़ी बाधा/कठिनाई क्या थी?

पुलिस ज्यादती, बल प्रयोग और पुलिस और लोगों के बीच टकराव

लॉकडाउन के दौरान, यहां तक कि सख्त लॉकडाउन नियमों के मामूली उल्लंघन के मामलों में भी, पुलिस द्वारा बल प्रयोग और पुलिस की बर्बरता आमतौर पर रिपोर्ट की गई. इससे पुलिस और लोगों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई. इसके अलावा, आम लोगों में पुलिस के भय का स्तर बढ़ गया था:

- तीन आम लोगों में से एक (33%) ने लॉकडाउन के दौरान नागरिकों और पुलिस के बीच लगातार टकराव की सूचना दी.

- आम लोगों में से अधिकांश (55%) ने लॉकडाउन के दौरान पुलिस से डरने की सूचना दी. पांच में से लगभग तीन ने जुर्माना (57%) और पुलिस (55%) द्वारा पीटे जाने की सूचना दी.

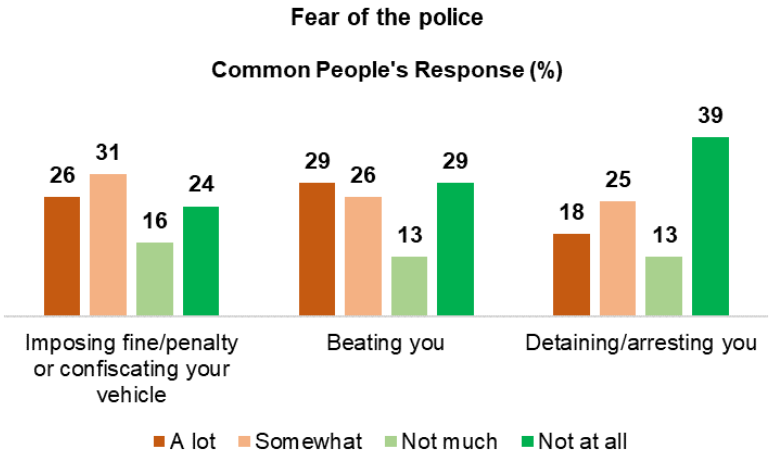

नोट: शेष उत्तरदाताओं ने उत्तर नहीं दिया. सभी आंकड़े पूर्णांकित (rounded off) हैं.

आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव

लॉकडाउन और इसके मद्देनजर पुलिस द्वारा की कार्रवाई पहले से ही वंचित समूहों जैसे कि गरीबों, दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों के लिए सख्त थी. सबसे पहले, इन समुदायों को आम तौर पर लॉकडाउन के कारण अधिक नुकसान का सामना करना पड़ा. इन समुदायों को भोजन या राशन जैसी आवश्यक चीजों तक पहुंचने में कठिनाई हो रही थी. दूसरा, उन्हें किरायेदारों (मकान मालिकों) द्वारा निकाल दिए जाने की भी अधिक संभावना थी. इस अवधि के दौरान पुलिस द्वारा उनके साथ किए गए भेदभाव से उनकी परेशानी और बढ़ गई, जैसा कि निष्कर्षों से स्पष्ट है:

- लॉकडाउन के दौरान, अमीरों की तुलना में सबसे गरीब और निम्न वर्ग के दोगुने से अधिक लोगों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.

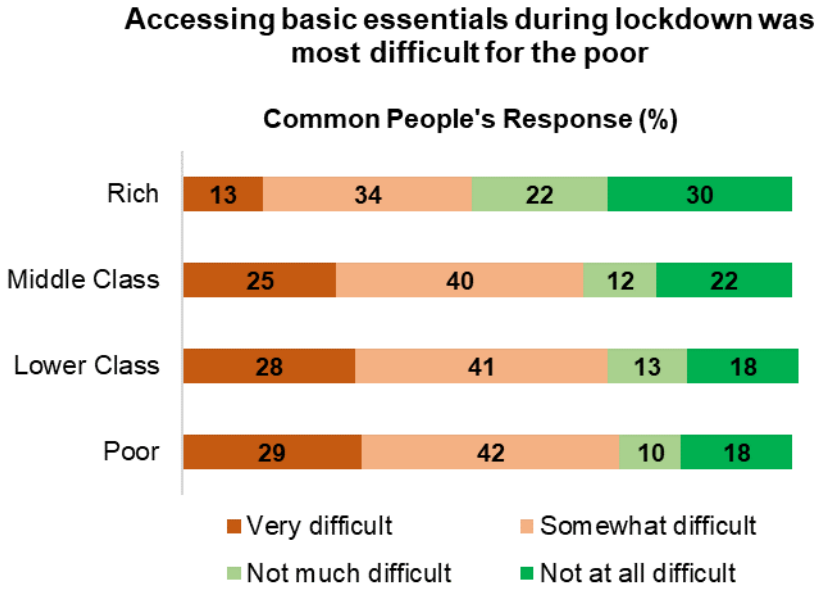

नोट: शेष उत्तरदाताओं ने उत्तर नहीं दिया. सभी आंकड़े पूर्णांकित (rounded off) हैं.

प्रश्न: कई क्षेत्रों में, स्थानीय लोगों को लॉकडाउन के दौरान भोजन या दवाओं जैसी बुनियादी आवश्यक चीजों तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा. आपके और आपके परिवार के लिए मूलभूत आवश्यक चीज़ों तक पहुँचना कितना कठिन था - बहुत, कुछ हद तक, अधिक नहीं, या बिल्कुल भी नहीं?

- लॉकडाउन के दौरान, अमीरों की तुलना में गरीब वर्ग के लोगों में मकान मालिकों द्वारा जबरन बेदखल किए जाने के 'कई' मामलों की रिपोर्ट करने की संभावना तीन गुना अधिक थी. दलितों, मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को लॉकडाउन के दौरान जबरन बाहर निकाले जाने की भी सबसे अधिक संभावना थी.

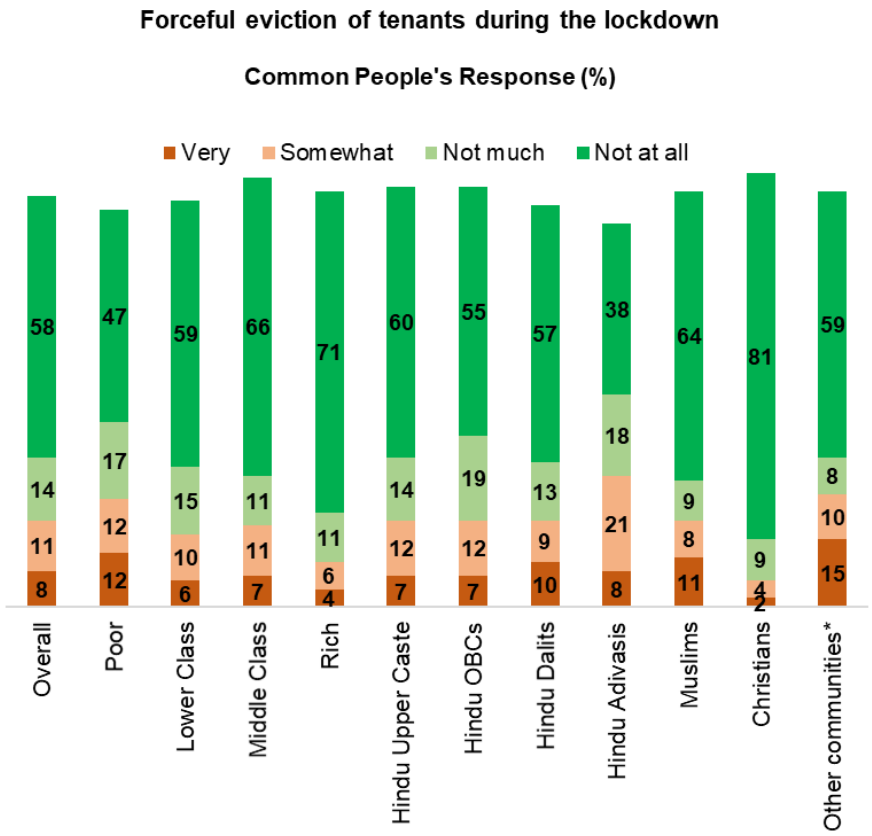

नोट: शेष उत्तरदाताओं ने उत्तर नहीं दिया. सभी आंकड़े पूर्णांकित (rounded off) हैं.

**अन्य समुदायों में अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे सिख, बौद्ध/नव बौद्ध, जैन, पारसी और वे लोग शामिल हैं जिन्होंने अपनी जाति का खुलासा नहीं किया. छोटे-छोटे मामलों के कारण इन सभी को एक साथ जोड़ दिया गया है.*

प्रश्न: कोविड -19 के प्रकोप/लॉकडाउन के दौरान, मालिकों द्वारा किरायेदारों को जबरन बेदखल करना कितना आम था?

- लॉकडाउन के दौरान पुलिस की धारणाओं में स्पष्ट वर्ग विभाजन था. गरीब और निम्न वर्ग के लोग लॉकडाउन के दौरान पुलिस से अधिक भयभीत थे. विशेष रूप से, वे पुलिस द्वारा शारीरिक हिंसा से डरते थे. उन्हें इस अवधि के दौरान पुलिस के निर्देशों को धमकी के रूप में देखने की अधिक संभावना थी. दूसरी ओर, पुलिस कर्मी भी ज्यादातर यह मानते थे कि गरीब इलाकों में लॉकडाउन नियमों का कम से कम अनुपालन हो रहा था.

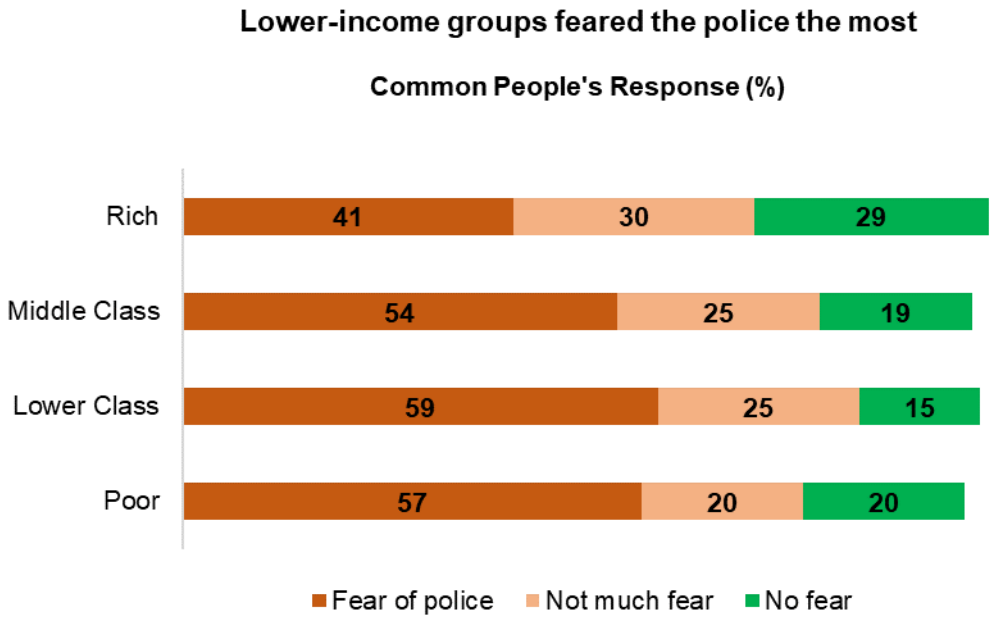

नोट: शेष उत्तरदाताओं ने उत्तर नहीं दिया. सभी आंकड़े पूर्णांकित (rounded off) हैं.'कुछ डर' और 'बहुत डर' की श्रेणियों से मिलाकर'पुलिस का डर' एक श्रेणी बना दी है.

- आम लोगों (62%) और पुलिस कर्मियों (71%) के बहुमत का मानना था कि लॉकडाउन के दौरान लगाए गए प्रतिबंध सभी पर समान रूप से लागू होते हैं. हालांकि, एक महत्वपूर्ण अनुपात (29% लोग; 26% पुलिस कर्मियों) ने महसूस किया कि कुछ लोग अधिक आसानी इन प्रतिबंधों से बच गए. गरीब लोगों के यह मानने की अधिक संभावना है कि सभी के लिए समान रूप से प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे.

- लॉकडाउन की वजह से सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की अधिक तैनाती के साथ, चार में से लगभग तीन (71%) लोगों ने सुरक्षित महसूस करने की सूचना दी. हालांकि, पांच में से एक (18%) को खतरा महसूस हुआ. गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों ने पुलिस तैनाती से अधिक खतरा महसूस किया. यह दर्शाता है कि वे पुलिस की तैनाती से असमान रूप से प्रभावित थे.

- सहायता कर्मियों के एक अलग त्वरित अध्ययन के अनुसार, एक तिहाई से अधिक सहायता कर्मियों का मानना है कि पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान बेघर लोगों, झुग्गीवासियों और प्रवासी श्रमिकों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया. दो में से एक सहायता कर्मी का यह भी कहना है कि पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान मुसलमानों के साथ भेदभाव किया, जिसमें 50 प्रतिशत ने अधिक या मध्यम स्तर के भेदभाव की सूचना दी.

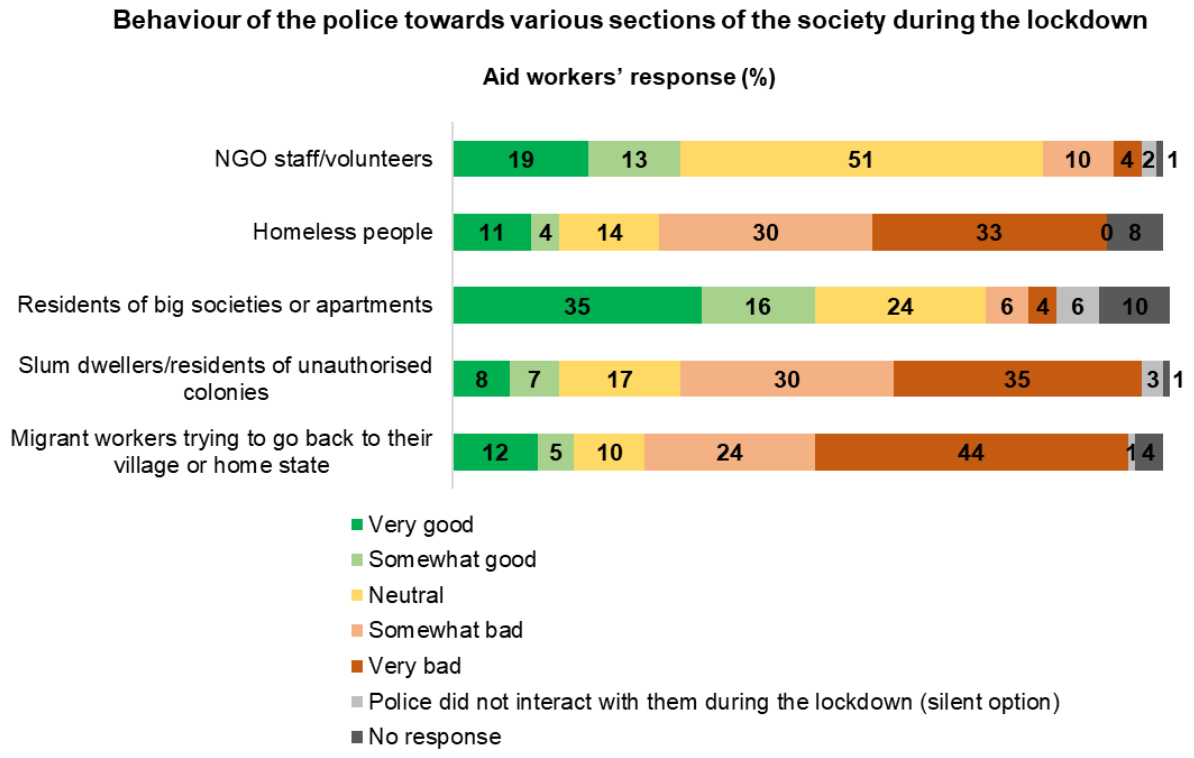

नोट: सभी आंकड़े पूर्णांकित हैं.

प्रश्न: "आपके अनुभव में, लॉकडाउन के दौरान, निम्नलिखित समूहों के लोगों के साथ पुलिस का व्यवहार कैसा था- बहुत अच्छा, कुछ अच्छा, तटस्थ, कुछ बुरा, बहुत बुरा या पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान उनके साथ बातचीत नहीं की. (चुप विकल्प): ए) एनजीओ कर्मचारी/स्वयंसेवक; बी) बेघर लोग; सी) बड़े समाज या अपार्टमेंट के निवासी; डी) झुग्गी में रहने वाले/अनधिकृत कॉलोनियों के निवासी; इ) अपने गांव या गृह राज्य वापस जाने की कोशिश कर रहे प्रवासी श्रमिक."

प्रवासी कामगारों की दुर्दशा

महामारी की पहली लहर के दौरान प्रवासी श्रमिक यकीनन सबसे बुरी तरह प्रभावित थे, और उन्हें आर्थिक असुरक्षा, राहत योजनाओं और आवश्यक सेवाओं की कमी जैसी कई चुनौतियों से जूझने के लिए छोड़ दिया गया था. घरों और परिवारों से दूर रहने के कारण उनकी परेशानी और बढ़ गई थी. इस प्रकार, आम लोगों और पुलिस कर्मियों के साथ किए गए सर्वेक्षण में प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा पर कुछ प्रश्न भी शामिल थे. इसके अलावा, प्रवासियों और राहतकर्मियों के एक अलग तत्विरक सर्वेक्षण के कुछ निष्कर्ष भी पुलिस की बर्बरता और प्रवासियों के साथ हुई ज्यादतियों की ओर इशारा करते हैं.

- दो पुलिस कर्मियों में से लगभग एक (49%) ने घर वापस जाने वाले प्रवासी कामगारों के खिलाफ अक्सर बल प्रयोग करने की सूचना दी. इसके अलावा, तीन में से एक पुलिस कर्मी (33%) को अक्सर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा जहां प्रवासी घर वापसी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए बल प्रयोग किया.

Use of force to control the migrants walking towards their homes

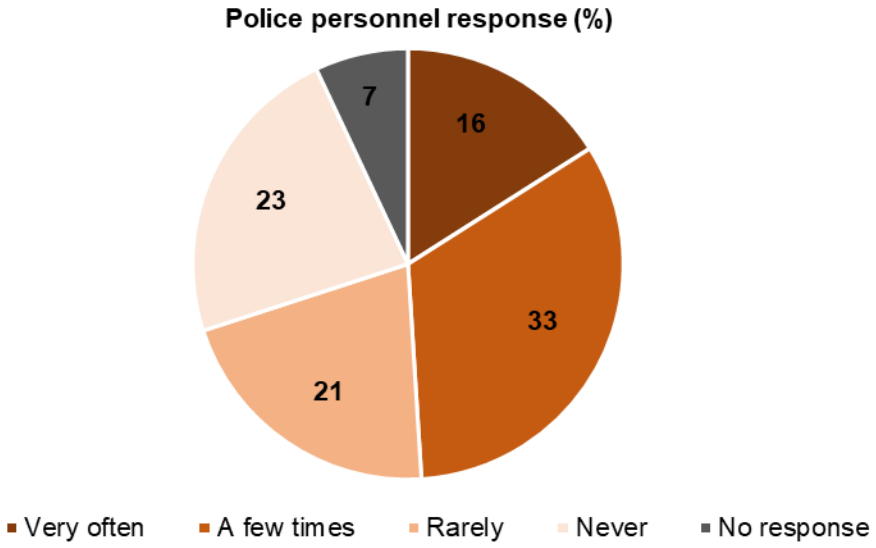

नोट: सभी आंकड़े पूर्णांकित हैं.

प्रश्न: अपने घरों की ओर पैदल जा रहे प्रवासियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कितनी बार बल प्रयोग का सहारा लिया--अक्सर, कभी-कभार, बहुत कम या कभी नहीं?

- चार कर्मियों में से लगभग एक (23%) ने भ्रमित होने की सूचना दी कि प्रवासी श्रमिकों को कौन आश्रय देगा, जबकि अन्य 22 प्रतिशत ने जिला पुलिस के साथ समन्वय की कमी का उल्लेख किया.

- प्रवासी कामगारों के एक अलग त्वरित सर्वेक्षण के अनुसार, अचानक हुए लॉकडाउन को सबसे गंभीर रूप से प्रभावित लोगों या उन्हें राहत प्रदान करने वालों द्वारा अनुकूल रूप से नहीं देखा गया. पांच प्रवासी कामगारों में से चार और सहायता कर्मियों के लगभग बराबर अनुपात का मानना है कि अगर लोगों को लॉकडाउन के बारे में पहले ही बता दिया जाता तो उन्हें कम मुश्किलों का सामना करना पड़ता.

- तत्वरिक अध्ययन में पाया गया कि प्रवासी और सहायता कर्मियों दोनों के अनुसार, सहायता प्रदान करना और भोजन, राशन या आवश्यक प्रावधान वितरित करना संकट के समय पुलिस द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता का सबसे बड़ा रूप था. लगभग 60 प्रतिशत सहायता कर्मियों को लगता है कि पुलिस भोजन/राशन वितरित करने में अत्यधिक या कुछ हद तक सहायक थी.

- तत्वरिक अध्ययन के लिए संपर्क किए गए प्रवासी कामगारों में से लगभग आधों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान, उन्हें पुलिस द्वारा हमले का सामना करना पड़ा. इसके अलावा, 10 में से एक प्रवासी श्रमिक को अपने गृह राज्यों / गांवों में वापस जाते समय पुलिस द्वारा हमले का सामना करना पड़ा. प्रवासी कामगारों की तरह, सहायता कर्मियों ने भी लॉकडाउन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग को क्रूरता का सबसे सामान्य रूप बताया. अस्सी प्रतिशत का कहना है कि पुलिस ने आम लोगों के खिलाफ कई बार या कभी-कभी बल प्रयोग किया.

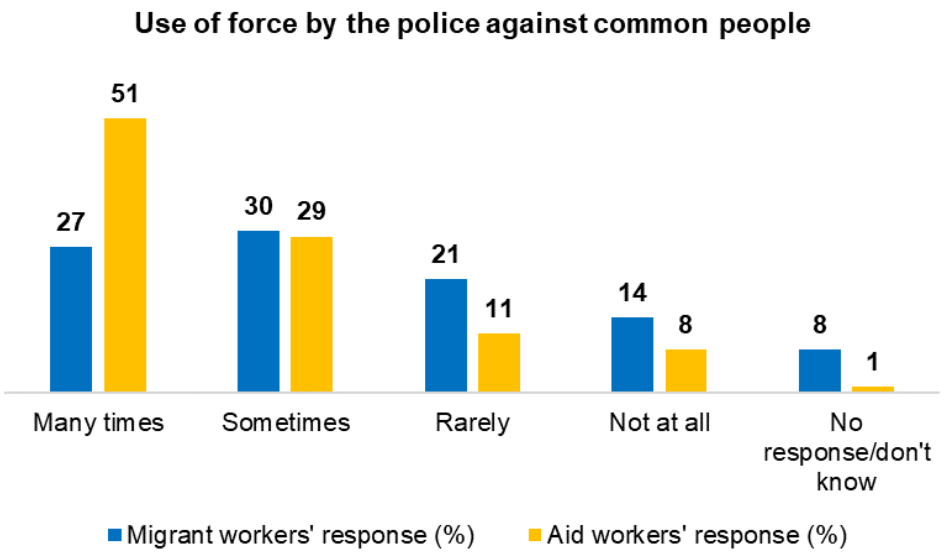

नोट: सभी आंकड़े पूर्णांकित हैं.

प्रश्न: "आपके अनुभव में, लॉकडाउन के दौरान, पुलिस ने कितनी बार आम लोगों पर बल प्रयोग किया-कई बार, कभी-कभी, शायद ही कभी या बिल्कुल नहीं?"

- एक अलग तत्वरिक अध्ययन के अनुसार, कुल मिलाकर पांच में से तीन प्रवासी कामगार (59%) और सहायता कर्मी (61%) लॉकडाउन के दौरान पुलिस के काम से संतुष्ट थे. हालांकि दोनों गुटों का यह भी मानना था कि इस दौरान पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग किया गया. पांच प्रवासी श्रमिकों में से लगभग तीन (57%) और पांच में से चार सहायता कर्मियों (80%) ने लॉकडाउन के दौरान आम लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार बल प्रयोग की सूचना दी.

लॉकडाउन का प्रबंधन: आम लोगों और पुलिस की राय

भले ही पुलिस ने लॉकडाउन नियमों को लागू किया और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का अनुपालन सुनिश्चित किया, लेकिन लागू किए जाने वाले सटीक नियमों के निर्णय उनके काम के दायरे में नहीं आते. लॉकडाउन की प्रकृति और प्रवर्तन समय का निर्णय राज्य पुलिस बलों के परामर्श के बिना लिया गया था. रिपोर्ट के कुछ निष्कर्ष नियमों और उन्हें लागू करने के तरीके से असंतोष दिखाते हैं.

- पांच में से तीन से अधिक लोगों (64%) का मानना है कि लॉकडाउन के बारे में पहले ही बता दिया जाता, तो प्रवासी संकट को रोका जा सकता था.

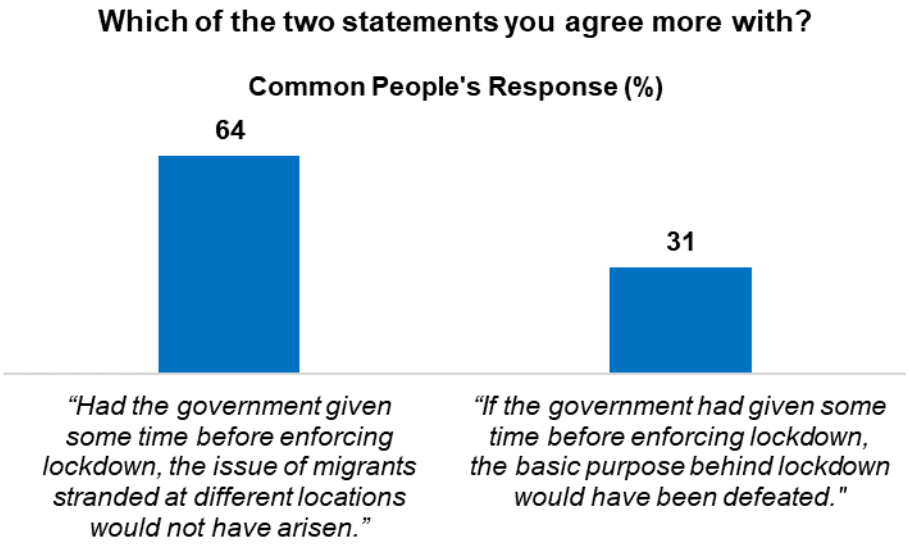

नोट: शेष उत्तरदाताओं ने उत्तर नहीं दिया. सभी आंकड़े पूर्णांकित हैं.
प्रश्न: मैं दो कथन पढ़ूंगा, मुझे बताएं कि आप दोनों में से किससे अधिक सहमत हैं?

- पांच में से दो प्रवासी कामगारों (38%) का मानना है कि पुलिस द्वारा लॉकडाउन नियम लागू करने की सख्ती अनुचित और कठोर थी. हालाँकि, 47 प्रतिशत का मानना था कि सुरक्षा के लिए सख्ती की आवश्यकता है और पुलिस अपना काम कर रही है. सहायता कर्मियों (40%) के एक महत्वपूर्ण अनुपात ने भी दृढ़ता से महसूस किया कि इस अवधि के दौरान पुलिस के उचित कामकाज में अनावश्यक रूप से सख्त लॉकडाउन नियम एक बड़ी बाधा थे.

महामारी के दौरान पुलिस के काम का लोगों का मूल्यांकन

पुलिस द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्टि के स्तर और लॉकडाउन के दौरान पुलिसिंग के उनके समग्र मूल्यांकन का आकलन करने के लिए, लोगों की संतुष्टि, विश्वास, अनुभव, लॉकडाउन के दौरान पुलिसिंग के बारे में धारणाओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए:

- कुल मिलाकर, आम लोगों में 10 में से नौ (86%) ने लॉकडाउन के दौरान पुलिस के व्यवहार को सकारात्मक रूप से आंका. इसमें से एक चौथाई (25%) ने कहा कि व्यवहार बहुत अच्छा था और पाँच में से तीन (61%) ने इसे अच्छा बताया.

- चार में से तीन पुलिस कर्मियों को लगता है कि लॉकडाउन के दौरान निगरानी बहुत बढ़ गई है. आम लोगों के समान अनुपात ने भी अपने इलाके में पुलिस की उपस्थिति में वृद्धि की सूचना दी.

- सर्वेक्षण महामारी के दौरान पुलिसिंग के बारे में व्यापक रूप से सकारात्मक सार्वजनिक धारणा को दर्शाता है. हर पांच में से दो लोगों (40%) ने पुलिस को अत्यधिक कुशल और 46% को प्रकोप को नियंत्रित करने में कुछ हद तक कुशल माना. हालांकि, गरीब लोगों को यह विश्वास करने की संभावना कम थी कि पुलिस कुशल थी.

- कुल मिलाकर, महामारी ने पुलिस और नागरिकों के बीच संबंधों में सुधार किया है. तीन में से दो लोगों (66%) ने विश्वास के स्तर में सुधार की सूचना दी और लगभग इतनी ही संख्या (65%) ने लॉकडाउन के बाद पुलिस की छवि में सुधार की सूचना दी. सर्वेक्षण में शामिल लगभग आधे आम लोगों ने महसूस किया कि अचानक देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद पुलिस ने स्थिति को कुशलता से संभाला.

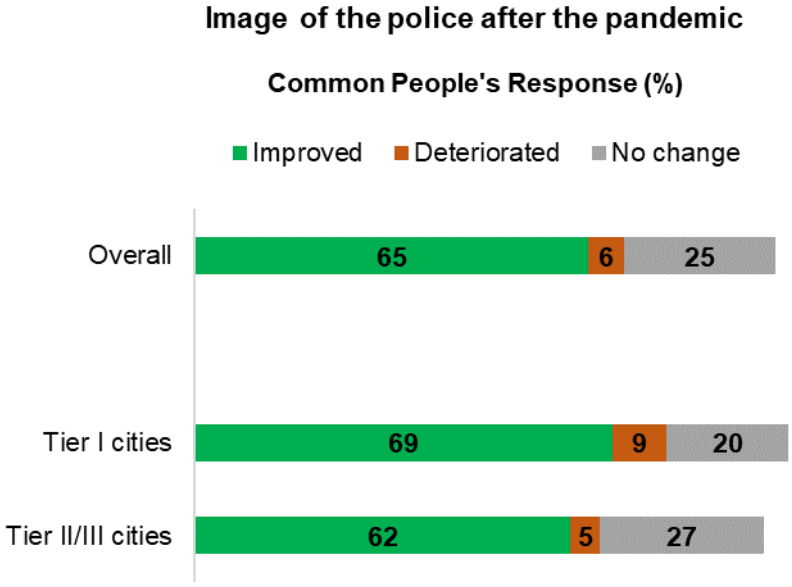

नोट: शेष उत्तरदाताओं ने उत्तर नहीं दिया. सभी आंकड़े पूर्णांकित हैं.

प्रश्न: कोरोना वायरस महामारी के बाद आपके मन में पुलिस की छवि सुधरी है, बिगड़ी है या वही बनी हुई है?

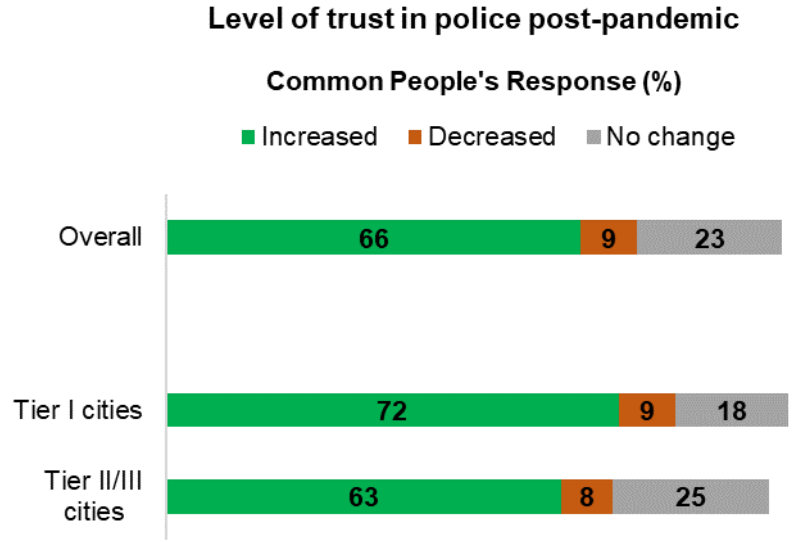

नोट: शेष उत्तरदाताओं ने उत्तर नहीं दिया. सभी आंकड़े पूर्णांकित हैं.

प्रश्न: कोरोनावायरस के प्रकोप के दौरान पुलिस ने कैसा प्रदर्शन किया, इस पर विचार करते हुए, पुलिस पर आपका भरोसा बढ़ा है या घटा है?

- टियर I शहरों की तुलना में मोटे तौर पर, टियर II/III शहरों में लोगों की लॉकडाउन के दौरान पुलिस के बारे में बेहतर धारणा थी. छोटे शहरों में अधिक लोगों ने महसूस किया कि पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम है और लॉकडाउन के दौरान अपनी बढ़ी हुई उपस्थिति से वे सुरक्षित हैं.

लॉकडाउन के दौरान अपराध

लॉकडाउन लागू होने के साथ, यह देखा गया कि दुनिया भर में सामान्य अपराध जैसे डकैती, चोरी, हत्या, हिंसक अपराध आदि में भारी कमी आई. हालांकि, लॉकडाउन के कारण साइबर अपराध और घरेलू हिंसा जैसे अपराधों की विभिन्न श्रेणियों में वृद्धि हुई, जैसा कि सर्वेक्षण के निष्कर्षों से स्पष्ट है. हालांकि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये निष्कर्ष लोगों और पुलिस की धारणाओं तक सीमित हैं, अपराधों की दरों के बारे में और वास्तविक रिपोर्ट की गई अपराध दर के बारे में आधिकारिक आंकड़े हैं, जो इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए हैं.

- कुल मिलाकर, आंकड़ों से पता चलता है कि कम लोगों के बाहर निकलने के साथ, देश की अपराध दर में कथित तौर पर काफी कमी आई है. पांच में से चार पुलिस कर्मियों ने समग्र अपराध दर में गिरावट की सूचना दी. आम लोगों के समान अनुपात ने भी लॉकडाउन के दौरान अपराध में कमी दर्ज की.

- जबकि पुलिस कर्मियों ने बताया कि चोरी, डकैती, अपहरण और हत्या जैसे अपराध काफी हद तक कम हो गए, निजी दायरों में किए गए अपराध, जैसे कि महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा और साइबर अपराध, लॉकडाउन के दौरान बढ़ गए. चार पुलिस कर्मियों में से एक ने लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा में वृद्धि की सूचना दी.

Police personnel's perception of the number of complaints/FIRs etc and the change in the rate of specific crimes during lockdown (%)

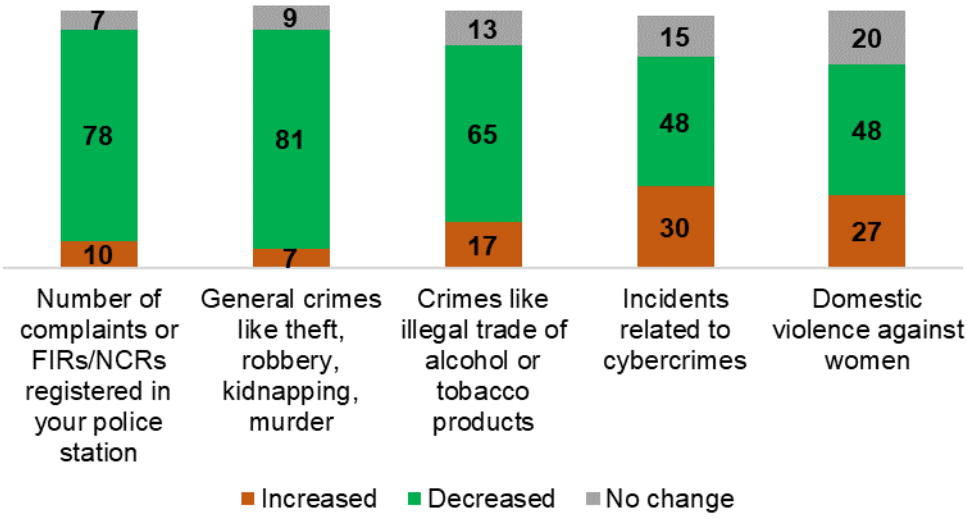

नोट: शेष उत्तरदाताओं ने उत्तर नहीं दिया. सभी आंकड़े पूर्णांकित हैं.

प्रश्न: पहले के समय की तुलना में लॉकडाउन के दौरान निम्नलिखित चीजें बढ़ी या घटीं? ए). आपके थाने में दर्ज शिकायतों या प्राथमिकी/एनसीआर की संख्या ख) चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या जैसे सामान्य अपराध? सी) शराब या तंबाकू उत्पादों के अवैध व्यापार जैसे अपराध? डी) साइबर क्राइम से जुड़ी घटनाएं? इ) महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की घटनाएं?

लॉकडाउन के दौरान पुलिस की तैयारी और काम करने की स्थिति

अचानक हुए लॉकडाउन ने न केवल देश भर में आम लोगों पर, बल्कि लॉकडाउन को लागू करने वाले पुलिस कर्मियों पर भी भारी असर डाला. प्रशिक्षण, संसाधनों की कमी, कर्मचारियों की कमी के कारण पुलिस कर्मी बहुत निम्म स्तर की तैयारियों के साथ अपना दायित्व निभा रहे थे. पुलिस कर्मियों को आम तौर पर उन्हें सौंपे गए इतने बड़े कार्य को संभालने के लिए खराब तरीके से सुसज्जित किया गया था, सर्वेक्षण के निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है:

- टियर II/III शहरों की तुलना में टियर I शहरों में पुलिस कर्मियों को लॉकडाउन के दौरान बेहतर सुविधाएं प्रदान की गईं. टियर I शहरों में पुलिस के पास महामारी के दौरान ड्यूटी के लिए उपकरणों का अधिक प्रावधान था, बेहतर स्वच्छता की स्थिति, अधिक बीमा कवर, विशेष आवास जैसे सुरक्षा व्यवस्था, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मियों का उच्च अनुपात और लॉकडाउन के दौरान अधिक विभागीय रूप से व्यवस्थित स्वास्थ्य जांच. इन शहरों में सह-रुग्णता वाले कर्मियों को भी अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में तैनात किए जाने की संभावना कम थी.

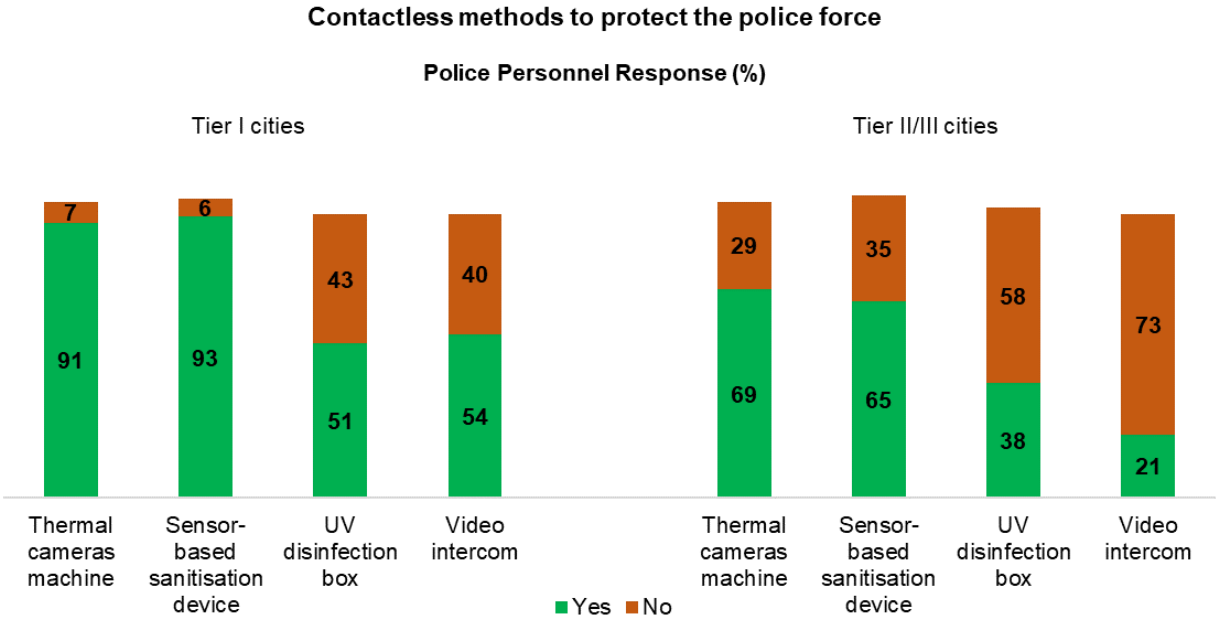

नोट: शेष उत्तरदाताओं ने उत्तर नहीं दिया. सभी आंकड़े पूर्णांकित हैं.

प्रश्न: कोरोनावायरस के प्रकोप के दौरान, पुलिस ने अपने कर्मियों को वायरस से बचाने के लिए कई संपर्क रहित तरीके अपनाए. क्या आपके पुलिस स्टेशन में निम्नलिखित में से कोई स्थापित किया गया था- ए)सेंसर आधारित सैनिटाइजेशन मशीन; बी) थर्मल कैमरे; सी) वीडियो-इंटरकॉम डिवाइस; डी) यूवी कीटाणुशोधन बॉक्स?

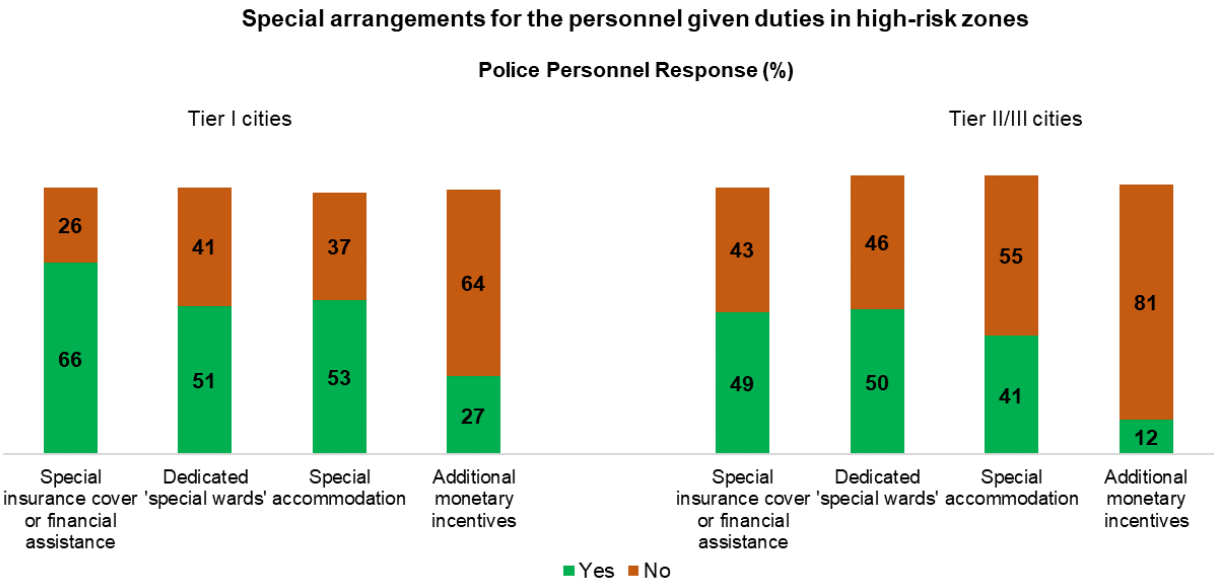

प्रश्न: कोरोनावायरस के प्रकोप के दौरान, कुछ राज्यों में अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी. क्या सरकार ने आपके क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसी की व्यवस्था की है- क) पुलिस कर्मियों के लिए विशेष आवास, ताकि उन्हें हर दिन अपने परिवार के पास वापस न जाना पड़े; बी) पुलिस के लिए समर्पित कोरोना/कोविड स्वास्थ्य केंद्र या अस्पतालों में 'विशेष वार्ड'; सी) कोरोना वायरस के कारण मरने वाले पुलिस कर्मियों के मामले में परिवार को विशेष बीमा कवर या वित्तीय सहायता; डी) उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में तैनात लोगों के लिए अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन?

- बहुसंख्यक (56%) ने बताया कि कमजोर पुलिस कर्मियों को कम जोखिम वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया या उन्हें पूर्ण आराम दिया गया, जबकि पांच में से दो (37%) ने इससे इनकार किया, जो एक समान नीति की कमी को दर्शाता है. हालांकि, पांच में से चार (84%) ने सहमति व्यक्त की कि कोविड -19 के दृश्य लक्षणों वाले पुलिस कर्मियों को छुट्टी दी गई थी.

- आधे पुलिस कर्मियों (56%) ने प्रकोप के दौरान जनता से निपटने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का दावा किया, जबकि पांच में से दो (43%) असहमत थे.

- कोविड-19 ड्यूटी ने अधिकांश पुलिस बल के मानसिक स्वास्थ्य पर भारी असर डाला, क्योंकि प्रत्येक 10 में से नौ ने कहा कि वे इससे बहुत अधिक या कुछ हद तक प्रभावित थे.

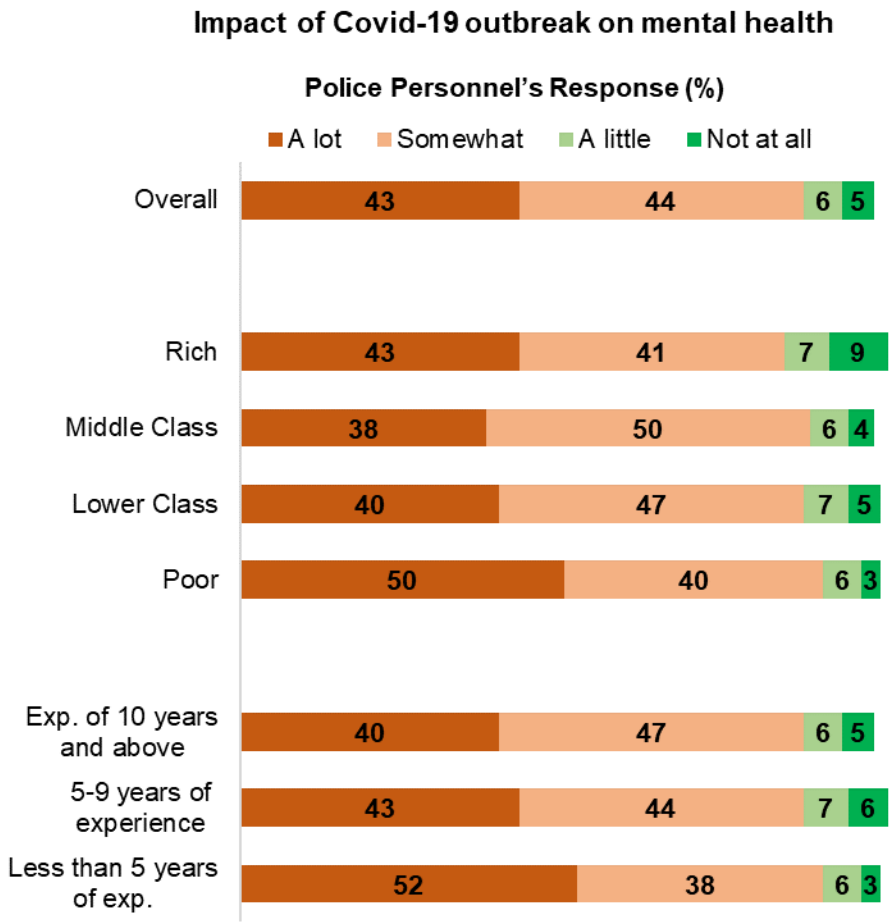

नोट: शेष उत्तरदाताओं ने उत्तर नहीं दिया, सभी आंकड़े पूर्णांकित हैं

प्रश्न: आपको क्या लगता है कि कोरोनावायरस के प्रकोप के दौरान नियमित ड्यूटी पर रहने से आप जैसे पुलिस कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ा है - बहुत कुछ, कुछ हद तक, बहुत नहीं या बिल्कुल नहीं?

• सामान्य तौर पर, केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्य महामारी के दौरान कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने में अधिक सक्रिय थे. इन राज्यों ने पीपीई किट आदि जैसे सुरक्षा उपकरणों की बेहतर उपलब्धता भी सुनिश्चित की, जबकि बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इन मानकों के तहत सबसे कम तैयार थे. चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए, आधे पुलिस कर्मियों (52%) ने कर्मचारियों की कमी को एक बड़ी बाधा के रूप में पहचाना. नतीजतन, पुलिस बल अधिक बोझिल प्रतीत हुआ, जिसमें पांच में से चार (78%) ने लॉकडाउन के दौरान दिन में कम से कम 11 घंटे काम करने की सूचना दी. एक चौथाई से अधिक (27%) ने कथित तौर पर लॉकडाउन के दौरान दिन में कम से कम 15 घंटे काम किया.

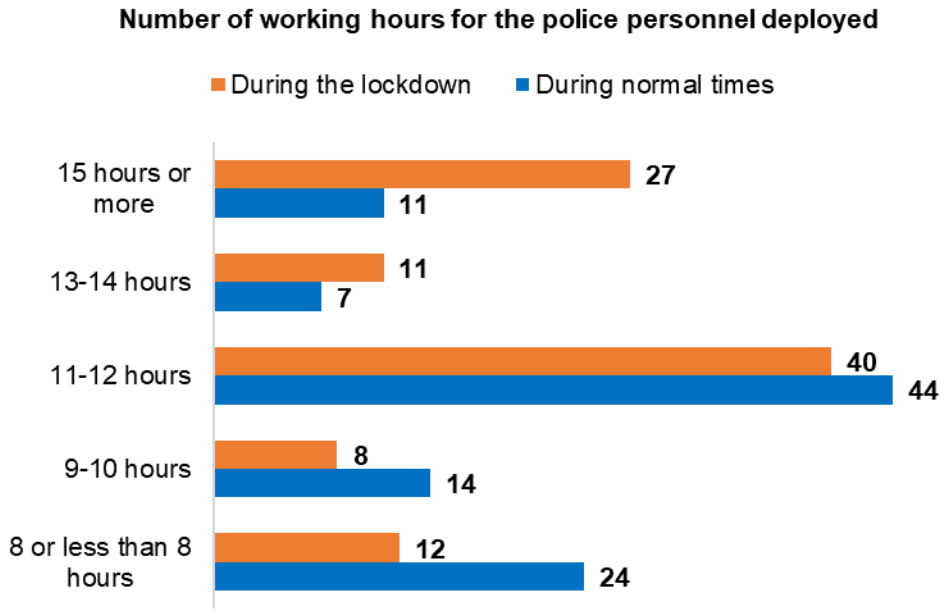

नोट: शेष उत्तरदाताओं ने उत्तर नहीं दिया. सभी आंकड़े पूर्णांकित हैं.

प्रश्न: जब लॉकडाउन था, तब आप रोजाना कितने घंटे काम करते थे? और सामान्य समय में यानी लॉकडाउन से पहले आपके दैनिक काम के घंटे क्या हुआ करते थे?

महामारी के दौरान पुलिसिंग का मीडिया कवरेज

जब सूचना के कई अन्य स्रोत ठप हो गए थे, उस मुश्किल घड़ी में, मीडिया ने उस अवधि के दौरान सूचना के प्रसारक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसलिए, अध्ययन में महामारी के दौरान पुलिसिंग के समाचार कवरेज का विश्लेषण शामिल था. इस विश्लेषण के मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

- लॉकडाउन के दौरान पुलिसिंग पर मीडिया कवरेज की एक अच्छी मात्रा --- चार समाचारों में से एक --- लॉकडाउन उल्लंघन की घटनाओं और पुलिस द्वारा की गई परिणामी कार्रवाई के बारे में थी. इनमें से आधे से ज्यादा खबरें लॉकडाउन के एक महीने के भीतर ही सामने आईं.

Number of news reports on lockdown violation and police action

(April 1, 2020 - June 30, 2020)

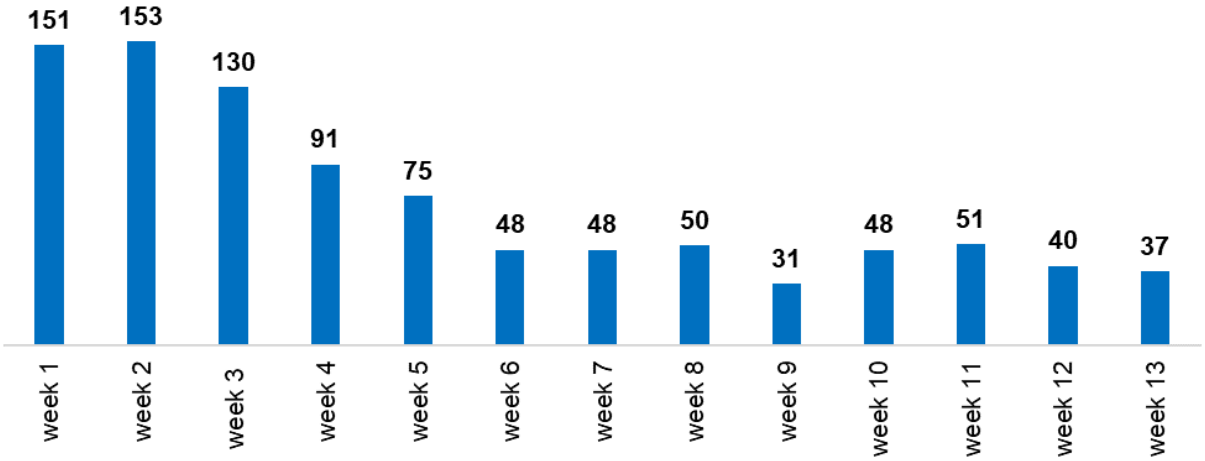

• समाचार रिपोर्टों से पता चलता है कि आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी साधन का उपयोग करके लॉकडाउन मानदंडों को बहुत सख्त रूप से लागू करने के लिए पुलिस पर महत्वपूर्ण सरकारी दबाव है.

- मीडिया की रिपोर्टें लॉकडाउन के दौरान पुलिस की विस्तारित भूमिका को दृढ़ता से दर्शाती हैं. लगभग सभी राज्यों में पुलिस शुरुआती हफ्तों के दौरान भोजन और आवश्यक आपूर्ति वितरित करने में शामिल थी. इसके अलावा व्यापक रूप से कवर किए गए नए पुलिस प्रयोगों की रिपोर्टें भी थीं, अर्थात, गायन, नृत्य, रचनात्मक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाने वाले पुलिस; जरूरतमंदों को मास्क, दवाएं आदि वितरित करना; नागरिकों के घरों का औचक निरीक्षण करना और उनका जन्मदिन आदि मनाना.

- सैंपल की गई 10 में से लगभग एक खबर लॉकडाउन के दौरान पुलिस की ज्यादती और लापरवाही की रिपोर्ट करती है. मीडिया रिपोर्टों से यह स्पष्ट है कि इस अवधि के दौरान प्रवासी श्रमिकों को पुलिस की बर्बरता का शिकार होने की सबसे अधिक संभावना थी.

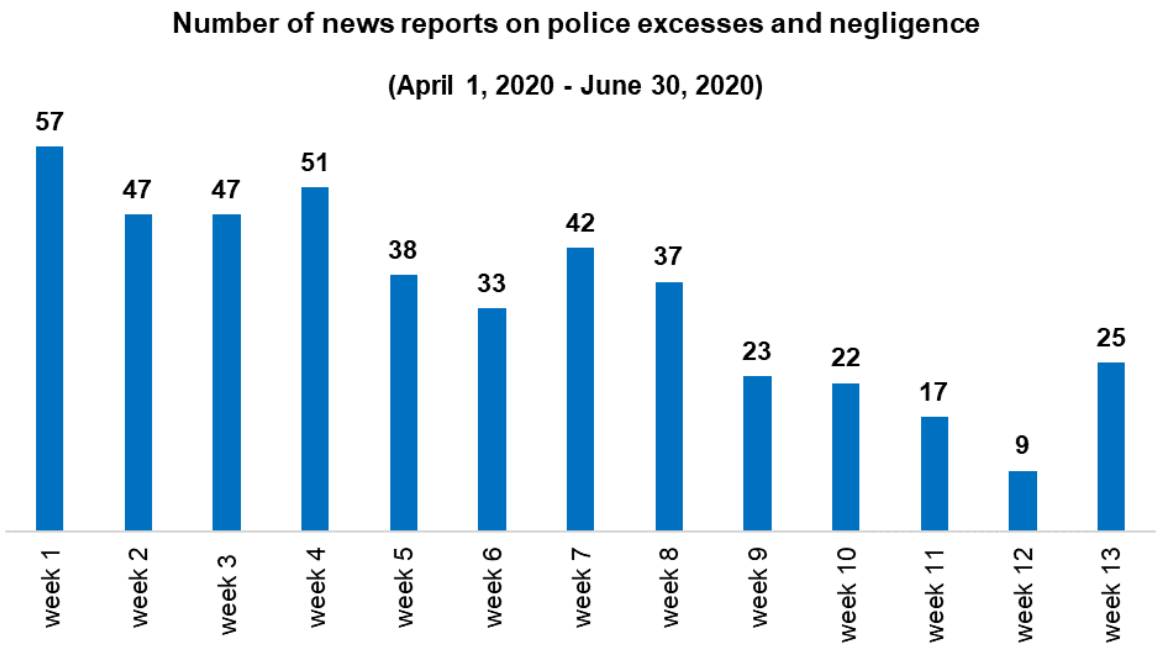

- मीडिया ने यह भी बताया कि पुलिस ने लॉकडाउन को लागू करने के लिए ड्रोन कैमरा, फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, जीपीएस सक्षम सिस्टम जैसे जियोफेंसिंग आदि जैसे उन्नत निगरानी उपकरणों का व्यापक रूप से उपयोग किया. पुलिसिंग के लिए उन्नत तकनीक पर बढ़ती निर्भरता को मीडिया से खूब प्रशंसा मिली, लेकिन इस दौरान उनकी वैधता, नियमों के पालन और डेटा सुरक्षा विधियों से संबंधित कुछ सवाल उठाए गए.

- मीडिया रिपोर्टों के विश्लेषण में लॉकडाउन के दौरान सरकारी नीतियों या पुलिस के व्यवहार का बहुत कम या कोई आलोचनात्मक मूल्यांकन नहीं दिखा. जबकि इस अध्ययन में मीडिया की कहानियों के झुकाव का सामग्री विश्लेषण नहीं किया गया था, सामान्य विश्लेषण से कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टों का पता चला, सिवाय हिरासत में हुई मौतों जैसे अत्यधिक पुलिस बर्बरता के मामलों को छोड़कर.